



# कार्यालय पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर



## प्रेस-नोट (दिनांक 22.08.2024) आयुक्तालय जोधपुर

आगामी वी.वी.आई.पी. विजिट के मध्य नजर श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु दिनांक 21.08.2024 को वक्त 07.00 पी.एम. से 11.00 पी.एम. तक सार्वजनिक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, व होटल, ढाबा, धर्मशाला, सराय आदि में ठहरने वाले लोगों की पूछताछ कर संदिग्ध लोगों की फोटो मिलान करने एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 185 एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय के समस्त वृत्त सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में अपने-अपने वृत्त क्षेत्र में स्थित थानाधिकारियों को राजकोप ऐप पर फोटो मिलान की तकनीकी जानकारी एवं कार्य प्रणाली के बारे में ब्रीफ कर अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, व होटल, ढाबा, धर्मशाला, सराय आदि में ठहरने वाले लोगों की पूछताछ कर संदिग्ध लोगों की फोटो मिलान करने एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 185 एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त थानाधिकारियों ने अपने-अपने थाना पुलिस बल को पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशित चिन्हित स्थानों पर जाकर राजकोप ऐप के माध्यम से फोटो पहचान कर संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर कार्यवाही करने हेतु रवाना किये गये।

होटल, ढाबा चैकिंग अभियान सुपरविजन अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में समस्त थानाधिकारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, ढाबा, धर्मशाला, सराय चैकिंग का अभियान चलाया गया। जिसमें होटल धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों के नाम पत्ते व आईडी प्रारूप की फोटोकॉपी तथा रजिस्टर में अंकित पहचान को चेक करने तथा ठहरने वालों की संख्या तथा आईडी प्रारूप की संख्या का मिलान करने तथा प्रत्येक आईडी प्रूफ की तस्दीक कर जांच करने तथा संचालकों को पाबंद किया गया कि बिना आईडी प्रूफ चेक किए प्रवेश न देवे विशेष तौर से आधार कार्ड की प्रतिलिपी आवश्यक रूप से ले तथा जांच कर ही ठहरावे। यदि सन्दिग्ध व्यक्ति की जानकारी ध्यान में आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। ठहरने वाले व्यक्तियों के लगेज को आवश्यक रूप से चेक करने के बाद ही प्रवेश देवे। यदि किसी संदिग्ध वस्तु की आशंका होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।

अभियान के दौरान सार्वजनिक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को चैक किया गया व समस्त पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर द्वारा कुल 168 होटल, 43 ढाबा, 02 धर्मशाला, आदि स्थानों पर संघन चैकिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर राजकोप ऐप द्वारा कुल 264 व्यक्तियों की फोटो का मिलान कर 100 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 185 एम.वी. एक्ट के तहत कुल 20 चालकों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की गई।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस-पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व वॉट्सअप नं. 9530440800 पर सूचित करें।

प्रभारी  
पुलिस नियंत्रण कक्ष,  
आयुक्तालय जोधपुर।





